UPHR050006992022

Presented on : 02-12-2022
Registered on : 02-12-2022
Decided on : 14-03-2023
Duration : 0 years, 3 months, 12 days

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हरदोई।

उपस्थित– लाल बहादुर गौड़ (उ०प्र०न्या०सेवा) (UP ID 2035)

दीवानी वाद संख्या–308/2022

ओम प्रकाश तिवारी उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व० रामचन्द्र तिवारी निवासी सराय थोक पश्चिमी हरदोई परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई----------**वादी।**

बनाम

शिव प्रकाश तिवारी उम्र 59 वर्ष स्व० रामचन्द्र तिवारी निवासी सराय थोक पश्चिमी हरदोई परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई----------**प्रतिवादी।**

निर्णय सुलहनामा

दिनांक–14.03.2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पक्षकारों की ओर से संधि पत्र कागज संख्या 11 क इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त प्रश्नगत विवादित मकान के बावत सुलह हो गयी है। शरायत सुलहनामा की शर्ते प्रार्थना पत्र में उल्लिखित हैं। सन्धिपत्र पर चस्पा किये गये पक्षकारों के छाया चित्र एवं हस्ताक्षर को उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष सत्यापित किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2023 को तस्दीक किया गया है।

संधिपत्र के अभिकथन पक्षकारों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर उन्होंने स्वेच्छा स्वीकार किया जाना कहा गया है।

विपक्षी की पहचान विद्वान अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार द्विवेदी पंजीकरण संख्या 3992/1984 द्वारा की गयी है।

वादी की पहचान विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम दीक्षित पंजीकरण संख्या–6219/1983 द्वारा की गयी है।

संधिपत्र 11 क न्यायालय द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में अधिवक्तागण की शिनाख्त पर दिनांक 14.03.2023 को तस्दीक किया गया। संधिपत्र 11 क में वर्णित शर्ते किन्हीं भी विधिक उपबन्धों का उल्लंधन नहीं करती है।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत संधिपत्र 11 क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

दावा वादी, उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत संधिपत्र कागज संख्या 11 क के आधार पर, निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्णीत किया जाता हैः–

1– इस संधि पत्र का प्रभाव केवल पक्षों पर ही बाध्यकारी होगा। इस संधि पत्र के आदेश का कोई प्रभाव, किसी अन्य व्यक्ति के विधिक हितों के सृजन अथवा निर्वापन के संबंध में नहीं होगा।

2– किसी गांव सभा अथवा राजकीय संपत्ति पर इसका कोई प्रभाव डालने वाला नहीं होगा एवं किसी भी सक्षम प्राधिकारी अथवा किसी सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

3– संधि पत्र किसी तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत किया गया है, तो यह संधि पत्र प्रभावहीन होगा।

4– संधि पत्र से किसी संपत्ति का अन्तरण या स्वत्व प्रभावित होता है तो वह पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी अदा करने एवं रजिस्ट्रेशन के उपरान्त ही प्रभाव में आगेया।

5– उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

उक्त शर्तो के अधीन, संधिपत्र कागज संख्या 11 क इस निर्णय एवं डिक्री का अंश होगा।

दिनांक– 14.03.2023

(लाल बहादुर गौड़)
सिविल जज (सी०डि०)
हरदोई।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक– 14.03.2023

(लाल बहादुर गौड़)
सिविल जज (सी०डि०)
हरदोई।